सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

125

एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन

[भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के अठासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा की-गई कार्रवाई]

(03.04.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना

प्राक्कथन

प्रतिवेदन भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के अठासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा की-गई कार्रवाई। 1

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक समिति के अठासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर। 3

परिशिष्ट-दो सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण। 9

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

लोक सभा

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब एसई संबंधित समिति के अठासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की-गई कार्रवाई से संबंधित समिति का यह एक सौ पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति का अठासीवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 05.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अठासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाते हुए अपने उत्तर 09.11.2022 को प्रस्तुत किये। समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23), लोक सभा</u>

<u>प्रतिवेदन</u>

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के अठासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का यह प्रतिवेदन समिति के अठासीवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा), जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में है और जिसे 05.08.2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

2. समिति ने अपने अठासीवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में पांच (05) टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं। उक्त प्रतिवेदन में की गई सभी पांच टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई उत्तर सरकार से 09 नवंबर, 2022 को

प्राप्त कर लिए गए थे। तदनुसार, अठासीवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **परिशिष्ट** में दिया गया है।

3. **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया है कि वर्ष 2021-22* के लिए आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली के आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित समय अर्थात 31 दिसंबर 2022 से पहले सभा पटल पर रखे जाने की उम्मीद है। मंत्रालय/विभाग ने यह भी बताया है कि उन्होंने आईएसएलआरटीसी सहित अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी स्वायत्त निकायों के आवश्यक दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखने को सुनिश्चित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए थे। समिति मंत्रालय/विभाग से सिफारिश करती है कि वे इन दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और न केवल आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली, बल्कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के आवश्यक दस्तावेजों को भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाए। समिति इस संबंध में मंत्रालय और आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली पर भी कड़ी निगरानी रखेगी।**

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

**2021-22 की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को 28.03.2023 को लोकसभा के पटल पर रखे गए।*

<u>परिशिष्ट</u>

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02)

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के अठासीवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर।

<u>भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली</u>

<u>सिफारिश क्रमांक 22</u>

समिति पाती है कि यद्यपि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली देश में भारतीय बधिर समुदाय की जरूरतों को पूरा करके एक नेक काम कर रहा हैं, लेकिन संगठन को नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष रखने के अपने सांविधिक दायित्व को पूरा करने से छूट नहीं दी जा सकती है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के मामले की जांच से पता चला हैं कि आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली के आवश्यक दस्तावेजों को नोडल मंत्रालय अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेएंडई), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 03 से 13 माह के विलंब से सभा पटल पर रखा गया था। इसके अलावा, वर्ष 2020-2021 के आवश्यक दस्तावेजों को अब तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

समिति, एमओएसजेएंडई से सिफारिश करती है कि वह संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने से संबंधित समिति की सिफारिशों का सख्ती से अनुपालन करे। समिति, एमओएसजेएंडई से यह सिफारिश भी करती है कि वह न केवल आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के लंबित आवश्यक दस्तावेजों को यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखे, बल्कि भविष्य में इन आवश्यक दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करे।

<u>सरकार का उत्तर</u>

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं 05 अप्रैल, 2022 को सभा पटल पर रखे गए थे। अब से इन दस्तावेजों को समय पर रखने के लिए केंद्र ने जुलाई में ही नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) से संपर्क किया और वित्तीय वर्ष 2021-22 की सांविधिक लेखा परीक्षा 22 अगस्त, 2022 को पूरा किया गया और केंद्र को 12 अक्टूबर, 2022 को सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई एवं वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, का.ज्ञा. संख्या एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

सिफारिश क्रमांक 23

समिति को बताया गया की संगठन के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में कोई विलंब नहीं हुआ था। वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं के संकलन के पश्चात, आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली ने वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा कराए जाने के लिए लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) से संपर्क करने में लगभग 20 दिन से लेकर 02 माह तक का समय लिया। इस सम्बन्ध में विलंब का कारण, जैसा की एमओएसजेएंडई द्वारा बताया गया, वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा को भेजने से पहले कार्यकारी परिषद से इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करना था। समिति आशा करती है की आईएसएलआरटीसी मई के बजाय अप्रैल से अपने वार्षिक लेखाओं का संकलन शुरू कर देगा, ताकि जून की शुरुआत तक वार्षिक लेखाओं को सीएंडएजी को भेजा जा सके। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि वार्षिक लेखाओं को, कार्यकारी परिषद की उनकी प्रकिया के अनुसार, अनुमोदन के पश्चात, प्रत्येक वर्ष जून के प्रारम्भ तक लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को भेजा जाना चाहिए, ताकि इस स्तर पर होने वाले विलंब से बचा जा सके।

सरकार का उत्तर

केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन परिचालन माध्यम से कार्यकारी परिषद और सामान्य परिषद से ले ली है वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा दिनांक 04 अगस्त से 22 अगस्त, 2022 को नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है। केंद्र ने परिचालन के माध्यम से कार्यकारी परिषद और सामान्य परिषद से वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखाओं की मंजूरी लेने की प्रक्रिया को अपना लिया है।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग, का.ज्ञा. संख्या एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

सिफारिश क्रमांक 24

एमओएसजेएंडई के प्रतिनिधि ने भी मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति को बताया की विलंब का एक कारण सीएंडएजी से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का देरी से प्राप्त होना था। समिति एमओएसजेएंडई से यह सिफारिश करती है कि वह लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विलंब से संबंधित मामले को सीएंडएजी कार्यालय के साथ उठाये और वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने के पश्चात आवधिक अनुवर्ती कार्यवाई सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

केंद्र को 12 अक्तूबर, 2022 को केंद्र के वार्षिक लेखाओं पर अंतिम पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हुई।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों का अधिकारिता विभाग, का.ज्ञा. संख्या एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

सिफारिश क्रमांक 25

समिति को मौखिक साक्ष्य के दौरान यह भी बताया गया था कि दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आईएसएलआरटीसी में एक दो-स्तरीय संरचना है, अर्थात कार्यकारी परिषद से और तत्पश्चात, सामान्य परिषद* से। इसे विलंब का एक और कारण बताया गया। एमओएसजेएंडई ने यह भी बताया कि इसे एक अपवाद की स्थिति मानते हुए, वह परिचालन के माध्यम से कार्यकारी और सामान्य, दोनों परिषदों के अनुमोदन प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। समिति, दोनों परिषदों से इन आवश्यक दस्तावेजों के लिए अनुमोदन प्राप्त करके समय बचाने के लिए, एमओएसजेएंडई और आईएसलआरटीसी, नई दिल्ली से इस प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने की सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

केन्द्र ने पहले से ही इसे एक अपवाद की स्थिति मानते हुए कार्यकारी परिषद और सामान्य परिषद के लिए परिचालन के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आश्वस्त किया जाता है कि समय-सीमा का पालन करने के लिए परिचालन के माध्यम से कार्यकारी परिषद और सामान्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भविष्य में इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिरण कि विभाग, का.ज्ञा. संख्या एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

सिफारिश क्रमांक 26

समिति आशा करती है कि यदि संगठन द्वारा ही प्रस्तावित और मंत्रालय द्वारा समर्थित इन परिवर्तनों को सख्ती से व्यवहार में लाया जाता है, तो न केवल आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली, बल्कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अन्य सभी संगठनों के आवश्यक दस्तावेजों को भविष्य में निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जा सकेगा।

सरकार का उत्तर

विभाग ने आईएसएलआरटीसी सहित अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सभी स्वायत्त निकायों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को समय पर संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं (प्रति अनुलग्नक-I पर है)। इससे पहले, विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने पत्र सं. एफ.एन-एन-2206/119/2020-एनआई दिनांक 14 जून, 2022 (प्रति अनुलग्नक-II पर है) द्वारा सभी राष्ट्रीय संस्थानों को वर्ष 2021-2022 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को समय पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किया था।

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, का.ज्ञा. संख्या एस-2906/7/2021-आरसीआई, दिनांक 09.11.2022)

*****

<u>परिशिष्ट-दो</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क

3. श्री चौधरी मोहन जटुआ

4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. x x x x x
8. भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति के 88वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा की-गई कार्रवाई;
9. x x x x x
10. x x x x x
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****